

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
दीपशिखा बनाम कन्हैयालाल  
अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022 / 196

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील में जारी  
हए

06.05.22

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो किये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट व अपीलार्थीया स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपील बाबत पक्षकारान में आपसी समझाईस व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट के मध्य अब कोई वाद-विवाद शेष नहीं रहा है इसलिये अपीलान्ट उक्त अपील को इसी स्तर पर विद्धो करना चाहती है और उक्त अपील में किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को आज की तारीख पेशी में विद्धो किया जाकर खारिज करने की कृपा करें।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीया स्वयं ही अपनी अपील को विद्धो कर खारिज करना चाह रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थीया द्वारा अपनी अपील विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(विकास एस. भाले)

संभारणीय आयुक्त  
जयपुर